

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक: 10 जनवरी, 2017

विषय: सरकारी वाहनों विशेषतया अंबेसडर में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अंतर्गत गठित "कोष प्रबंधन समिति" की बैठक दिनांक 27.12.2016 में चर्चा के दौरान यह बिंदु संज्ञान में आया कि ज्यादातर सरकारी अंबेसडर में सामान्यतया प्रेशर हॉर्न (अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले हॉर्न) का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं यथा-पैदल चलने वाले यात्री, साइकिल चालक, रिक्शा चालक, स्कूटर/मोटर साइकिल चालक आदि को प्रेशर हॉर्न के प्रयोग की वजह से अत्यधिक असुविधा होती है और इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय ऐसे वाहनों के चालक अनावश्यक हॉर्न भी बजाते हैं।

2- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 119 में किये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी गाड़ी में ऐसा हॉर्न नहीं लगाया जा सकता है, जिससे कर्कश ध्वनि, अत्यधिक तेज ध्वनि एवं अनेक प्रकार की तीव्र आवाज निकले, जिससे कि सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो।

3- उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त नियमावली, के नियम 120 के उप नियम (2) में किये गये प्राविधान के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में उल्लिखित मानक से अधिक मानक के आवाज वाले हॉर्न नहीं लगाये जा सकते हैं। केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 119 तथा नियम 120 में मोटर वाहनों में लगाये जाने वाले हॉर्न एवं आवाज के निर्धारित मानक () संबंधी प्राविधानों की मंशा यही है कि वाहनों में ऐसे हॉर्न नहीं लगाये जाएं जिससे कि कर्कश ध्वनि और अनेक प्रकार की तेज ध्वनि उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में उपरोक्त प्रकार के हॉर्न का प्रयोग किया जाना नियमानुसार निषिद्ध है।

4- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 की उप धारा (2) में किये गये प्राविधान के अनुसार सड़क सुरक्षा हेतु वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों में निर्धारित मानक के उल्लंघन किये जाने की दशा में प्रथम अपराध किये जाने पर 1,000 रुपये और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

द्वितीय या अनुवर्ती अपराध किये जाने पर 2,000 रुपये दण्ड लगाये जाने का प्राविधान है। तदुसार परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 200 में किये गये प्राविधान के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों के कारित किये जाने की दशा में उपरोक्तानुसार ही प्रशमन शुल्क वसूले जाने का प्राविधान किया गया है।

5- आप अवश्य सहमत होंगे कि उपरोक्तानुसार हॉर्न लगाये जाने और उसका प्रयोग किये जाने या बार-बार उपयोग किये जाने से/अनावश्यक प्रयोग किये जाने से सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक असुविधा होती है। यदि सरकारी विभाग के व्यक्ति/चालकों द्वारा ऐसे हॉर्न का प्रयोग किया जाता है या सरकारी अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन को प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें ऐसे हॉर्न लगे हों तो निःसंदेह जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता है और यदि सरकारी विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों में ऐसे हॉर्न लगे होंगे तो अन्य व्यक्तियों द्वारा इनके प्रयोग किये जाने पर इस संबंध में कार्यवाही किया जाना कहां तक उचित होगा।

6- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त प्रमुख सचिव/सचिव अपने स्तर से अपने-अपने विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों को तदुसार उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहनों में प्रेशर हॉर्न यदि लगे हों, तो उसे निकलवाने के आदेश प्रसारित करना सुनिश्चित करें। आदेश में यह भी उल्लिखित किया जाये कि यदि किसी अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहन में उपरोक्त प्रकार का प्रेशर हॉर्न लगा है या प्रयोग किया जा रहा है तो संबंधित नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने पर विचार किया जा सकता है।

7- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0/-

(राहुल भटनागर)

मुख्य सचिव,30प्र01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।